8/12/17 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से संबंधित दस्तीक स्वामित्व करवा ली है। अतः इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र नामंजूर से का होकर वाद तकमील संलग्न अपील हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (

Scanned by CamScanner